

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 1-53/2009/20-1
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22/07/2010

1. समस्त कलेक्टर,
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत म.प्र.।
- 3- समस्त आयुक्त, नगर निगम, म.प्र.।
4. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, म.प्र.।

विषय- अध्यापक संवर्ग की क्रमोन्नति का लाभ देने के संबंध में।

-00-

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि अध्यापक संवर्ग में कार्यरत अध्यापकों को 12 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त प्रथम एवं द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ निम्नानुसार दिया जाए:-

क्र.	पदनाम	प्रारंभिक वेतनमान रुपये	प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान (12 वर्ष उपरांत रुपये)	द्वितीय क्रमोन्नति उपरांत वेतनमान (24 वर्ष उपरांत रुपये)
1	वरिष्ठ अध्यापक	5000-175-8500	5500-200-9500	6000-225-10500
2	अध्यापक	4000-125-5500	4500-150-7500	5000-175-8500
3	सहायक अध्यापक	3000-100-5000	3500-125-6000	4500-150-7500

राज्य शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों को दी जा रही क्रमोन्नति के लिए निर्धारित अन्य मापदण्ड अध्यापक संवर्ग की क्रमोन्नति के लिए भी लागू होंगे।

उक्त आदेश जारी करने के लिए वित्त विभाग द्वारा इस विभाग की नस्ती पर उनके यू.ओ.क्रमांक 1518/10/नियम/चार दिनांक 20.07.2010 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सी.बी.पटेल)

अवर सचिव

स्कूल शिक्षा विभाग

निरन्तर...2

1/2/1

पृ. क्रमांक एफ 1-53/2009/20-1

नापाल, दिनांक 22/07/2011

प्रतिलिपि-

- 1- प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमन्त्रीजी म.प्र.शासन, मंत्रालय भोपाल ।
- 2- विशेष सहायक, मान.मन्त्री/राज्यमन्त्री, स्कूल शिक्षा विभाग ।
- 3- निज सचिव, अध्यक्ष, म.प्र.कर्मचारी कल्याण ।
- 4- महालेखाकार, जिला ग्वालियर/भोपाल ।
- 5- मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसररर, म.प्र.भोपाल ।
- 6- प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल ।
- 7- प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल ।
- 8- प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल ।
- 9- प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
- 10- आयुक्त, लोक शिक्षण म.प्र.भोपाल ।
- 11- आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, भोपाल ।
- 12- आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, म.प्र. भोपाल ।
- 13- आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, म.प्र.भोपाल ।
- 14- समस्त समागायुक्त, न.प्र. ।
- 15- संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय तुलसी नगर, म.प्र.भोपाल ।
- 16- संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेश हिल्स, भोपाल ।
- 17- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, न.प्र. ।
- 18- समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, समस्त जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र. ।
- 19- समस्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, म.प्र. ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।



अवर सचिव

म.प्र.शासन

स्कूल शिक्षा विभाग